

भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2595
उत्तर देने की तारीख-17/03/2025

ओडिशा में पीएम श्री योजना के लिए चयनित स्कूल

†2595. श्री प्रदीप पुरोहित:

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) ओडिशा के झारसुगुडा और बारगढ़ जिलों में पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम श्री) योजना के अंतर्गत चयनित स्कूलों की उनके नाम और स्थान सहित संख्या कितनी है;
- (ख) उक्त स्कूलों को आवंटित कुल वित्तीय सहायता कितनी है और उनके विकास और अवसंरचना में सुधार के लिए वर्षवार संवितरण योजना क्या है;
- (ग) पीएम श्री योजना के अंतर्गत और अधिक स्कूलों को सम्मिलित करने के लिए पात्रता मानदंड और प्रक्रिया क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने उक्त योजना के अंतर्गत ओडिशा के झारसुगुडा और बारगढ़ जिलों के और स्कूलों को सम्मिलित करने का प्रस्ताव किया है;
- (ङ) क्या सरकार ने इन जिलों में पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन का कोई आकलन किया है; और
- (च) सरकार द्वारा चयनित स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और अवसंरचना के विकास को सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

**शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जयन्त चौधरी)**

(क): पीएम श्री योजना के तहत, ओडिशा के झारसुगुडा जिले में कुल 8 पीएम श्री स्कूलों का चयन किया गया है और बारगढ़ जिले में कुल 16 पीएम श्री स्कूलों का चयन किया गया है। ओडिशा के बारगढ़ और झारसुगुडा जिलों में चयनित पीएम श्री स्कूलों का बयौरा अनुलग्नक I में दिया गया है।

(ख): राज्य/संघ राज्य क्षेत्र आईसीटी लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, उपकरण, डिजिटल पुस्तकालय, क्लासरूम डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट क्लासरूम, एलईडी लाइटिंग, कंपोस्टिंग सुविधाएं आदि जैसी बुनियादी ढांचे की कमियों की पहचान करके प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत घटक-वार प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाता है और वित्तीय और कार्यक्रम संबंधी मानदंडों और उपलब्ध प्रावधानों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा स्वीकृत की जाती है।

वित्त वर्ष 2024-25 में झारसुगुडा जिले के लिए 704.50 लाख रुपये और बारगढ़ जिले के पीएम श्री स्कूलों के लिए 1413.69 लाख रुपये की राशि आवंटित की गई है।

(ग) और (घ): पीएम श्री स्कूलों का चयन चुनौती पद्धति के माध्यम से होता है, जिसमें स्कूल अनुकरणीय स्कूल बनने के लिए सहयोग हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं। चयन निश्चित समय सीमा के साथ तीन-चरणों की प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जो इस प्रकार है: -

चरण-1: पीएम श्री स्कूलों के रूप में निर्दिष्ट गुणवत्ता आश्वासन प्राप्त करने के लिए इन स्कूलों को सहायता करने हेतु प्रतिबद्धताओं को निर्धारित करते हुए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेंगे।

चरण-2: इस चरण में, पीएम श्री स्कूलों के रूप में चुने जाने के योग्य स्कूलों की पहचान यूडाइज़+ डाटा के माध्यम से निर्धारित न्यूनतम मानकों के आधार पर की जाएगी।

ये मानक नवीनतम डाटा के आधार पर यूडाइज़+ पोर्टल से स्वचालित रूप से भरे जाते हैं। स्कूल द्वारा पूरे किए जाने वाले न्यूनतम मानक इस प्रकार हैं:

- i. स्कूल के पास अच्छी स्थिति में अपना पक्का भवन होना चाहिए।
- ii. बाधा रहित प्रवेश-रैम्प।
- iii. स्कूल सुरक्षित होना चाहिए।
- iv. श्रेणी के लिए प्रारंभिक (कक्षा 1-5/1-8) स्तर और वरिष्ठ माध्यमिक (कक्षा 6-12/6-10/1-10/1-12) स्तर पर विद्यार्थियों का नामांकन राज्य के औसत नामांकन से अधिक होना चाहिए।
- v. स्कूल में बालक और बालिकाओं हेतु कम से कम एक अलग शौचालय होना चाहिए।
- vi. स्कूल में पेयजल की सुविधा होनी चाहिए।
- vii. स्कूल में अलग से हाथ धोने की सुविधा होनी चाहिए।
- viii. मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी शिक्षकों के पास फोटो पहचान पत्र होना चाहिए।
- ix. बिजली की आपूर्ति कार्यात्मक स्थिति में होनी चाहिए।
- x. स्कूल में पुस्तकालय/पुस्तकालय कॉर्नर की सुविधाएं और खेल उपकरण होने चाहिए।

चरण-3: यह चरण निश्चित मानदंडों को पूरा करने के लिए चुनौती पद्धति पर आधारित है। पीएम श्री स्कूल के रूप में चुने जाने के लिए शहरी क्षेत्रों के स्कूलों को न्यूनतम 70% अंक प्राप्त करने होंगे, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को न्यूनतम 60% अंक प्राप्त करने होंगे। शर्तों को पूरा करने की प्रामाणिकता राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा वास्तविक निरीक्षण के माध्यम से प्रदान की जानी है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जिला स्तर पर सत्यापन के बाद स्कूलों की सूची स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग (डीओएसईएंडएल), शिक्षा मंत्रालय को भेजने की सिफारिश की जानी अपेक्षित है तथा चुनौती पद्धति के माध्यम से अंतिम स्कूल चयन करने के लिए डीओएसईएंडएल में सचिव (डीओएसईएंडएल) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

(ड): पीएम श्री स्कूलों के मूल्यांकन के लिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 की सिफारिशों के अनुसार एक स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन ढांचा (एसक्यूएफ) विकसित किया गया है, जो प्रत्येक पीएम श्री स्कूल द्वारा हासिल की जाने वाली दक्षता के स्तर को दर्शाता है।

एसक्यूएफ को छह मुख्य डोमेन में विभाजित किया गया है, जो एनईपी 2022 के अनुरूप पीएम श्री योजना के छह स्तंभों पाठ्यक्रम, शिक्षाशास्त्र और मूल्यांकन; पहुंच और बुनियादी ढांचा; मानव संसाधन और स्कूल नेतृत्व; समावेशी अभ्यास और लैंगिक समानता; प्रबंधन, निगरानी और शासन तथा लाभार्थी संतुष्टि पर आधारित है।

(च): पीएम श्री योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के सभी घटकों को प्रदर्शित करना है और न केवल संज्ञानात्मक विकास पर ध्यान केंद्रित करना है, बल्कि 21वीं सदी के प्रमुख कौशल से सुसज्जित समग्र और सर्वांगीण व्यक्तियों का निर्माण करना भी है। इस योजना एक समतापूर्ण, समावेशी और आनंदपूर्ण शिक्षण वातावरण बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जो विविध पृष्ठभूमियों, बहुभाषी आवश्यकताओं और विविध शैक्षणिक क्षमताओं की पूर्ति करता है। इन स्कूलों को छात्रों को उनकी अधिगम प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक बच्चा सुरक्षित और प्रेरक वातावरण में स्वागत, देखभाल और सहयोग महसूस करे।

इसके अलावा, पीएम श्री योजना में पीएम श्री स्कूलों को विज्ञान प्रयोगशालाओं, आईसीटी-सक्षम स्मार्ट कक्षाओं, पुस्तकालय, फर्नीचर और खेल के मैदान से सुसज्जित करने का प्रावधान है। इसके अलावा, स्मार्ट बोर्ड जैसे डिजिटल शिक्षण उपकरण आधुनिक, प्रौद्योगिकी-संचालित शिक्षा का सहयोग करते हैं। एलईडी लाइटिंग, खाद बनाने की सुविधा और औषधीय उद्यानों की शुरुआत जैसे प्रयास पर्यावरण के अनुकूल "ग्रीन स्कूल" बनाते हैं।

‘ओडिशा में पीएम श्री योजना के लिए चयनित स्कूल’ के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री प्रदीप पुरोहित द्वारा पूछे गए दिनांक 17.03.2025 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2595 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक।

ओडिशा के झारसुगुडा जिले में चयनित पीएम श्री स्कूलों का ब्यौरा इस प्रकार है:

| क्र. | ब्लॉक का नाम | यूडीआईएसई | स्कूल का नाम |
|------|-----------------------|-------------|--|
| 1 | झारसुगुडा | 21020107001 | बापूजी राजकीय उच्च विद्यालय, श्रीपुरा |
| 2 | किरमिरा | 21020203103 | राजकीय उच्च विद्यालय, किरमिरा |
| 3 | कोलाबीरा | 21020303604 | राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय रघुनाथपाली |
| 4 | लाइकेरा | 21020402401 | के.बी.जे. शासकीय नोडल उच्च विद्यालय, लाइकेरा |
| 5 | लखनपुर | 21020506201 | राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय बांजीपाली |
| 6 | बेलपहाड़-नगर पालिका | 21020600505 | गिरिधारीलाल राजकीय उच्च विद्यालय, बेलपहाड़ |
| 7 | ब्रजराजनगर-नगर पालिका | 21020701501 | ओपीएम शासकीय कन्या उच्च विद्यालय |
| 8 | झारसुगुडा-नगर पालिका | 21020801507 | पुरुनाबस्ती राजकीय उच्च विद्यालय, झारसुगुडा |

ओडिशा के बारगढ़ जिले में चयनित पीएम श्री स्कूलों का ब्यौरा इस प्रकार है:

| क्र. सं. | ब्लॉक का नाम | यूडीआईएसई कोड | स्कूल का नाम |
|----------|----------------------------------|---------------|---|
| 1 | अम्बाभोना | 21010100102 | केदारनाथ आदिवासी उच्च विद्यालय, अंबाभोना |
| 2 | अत्ताबीरा | 21010201104 | जनता नोडल उच्च विद्यालय, गोडभगा |
| 3 | अत्ताबीरा-अधिसूचित क्षेत्र परिषद | 21010205002 | लदेरपाली सेव. |
| 4 | बारगढ़ | 21010303401 | सीमेंट नगर एच.एस. |
| 5 | बरपाली | 21010402602 | शासकीय उच्च विद्यालय, कंबार |
| 6 | भटली | 21010500601 | मुरुमकेल एच.एस |
| 7 | भेड़ें | 21010607306 | रेमुंडा एच.एस |
| 8 | बीजेपुर | 21010706101 | राजकीय नोडल उच्च विद्यालय, लौमुंडा |
| 9 | गैसिलेट | 21010803601 | बुद्धदेव शासकीय उच्च विद्यालय, गनियापाली |
| 10 | झारबंघ | 21010908502 | राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय, निलजीपत्रा |
| 11 | पैकमल | 21011009902 | राजकीय उच्च विद्यालय, मंदोसिल |
| 12 | पदमपुर | 21011101904 | पी.के.ए. राजकीय उच्च विद्यालय, खैरपाली |
| 13 | सोहेला | 21011210504 | राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, सोहेला |
| 14 | बारगढ़-नगर पालिका | 21011301201 | राजकीय बालिका उच्च विद्यालय, बारगढ़ |
| 15 | पद्मपुर-अधिसूचित क्षेत्र परिषद | 21011500101 | बालिका उच्च विद्यालय पदमपुर |
| 16 | बरपाली | 21010402801 | बी.डी. नोडल उच्च विद्यालय, कटापाली |